न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या– 35/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/213

निगरारीकार

संतोष कुमार पुत्र स्व. रामेश्वरलाल जाति सिंघल (अग्रवाल) निवासी तेली मोहल्ला बोरावड़ तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम

गैरनिगरानीकार

1. श्रीमती वसुन्धरा देवी पत्नी कैलाशचन्द अग्रवाल
2. कैलाशचन्द पुत्र स्व. रामेश्वरलाल जाति अग्रवाल
3. गौतमचन्द पुत्र स्व. रामेश्वरलाल जाति अग्रवाल
4. मुन्नालाल पुत्र स्व. रामेश्वरलाल जाति अग्रवाल
5. राजकुमार पुत्र स्व. रामेश्वरलाल जाति अग्रवाल
   तमाम निवासीगण तेली मोहल्ला बोरावड़ तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।
6. सचिव (ग्राम सेवक) ग्राम पंचायत बोरावड़ पंचायत समिति मकराना।
7. सरपंच ग्राम पंचायत बोरावड़ पंचायत समिति मकराना।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत बोरावड़ के सरपंच द्वारा कैलाशचन्द पुत्र स्व. रामेश्वरलाल जाति अग्रवाल निवासी बोरावड़ के पक्ष में निष्पादित आबादी भूमि का पट्टा संख्या 36 मिसल संख्या 98/07–08 दिनांक 20.06.2008 को रिस्त करने बाबत्।

उपस्थितः–

1. श्री हकीम खाँ वकील निगरारीकार की ओर से।

निर्णय

दिनांकः **23.07.2024**

निगरानी के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है किः–

ग्राम पंचायत बोरावड़ के आबादी इ[illegible] रामेश्वरलाल पुत्र रामजीवण जी सिंघल की आयी हुई थी जो प्रार्थी के पिता की [illegible] थी उनकी मृत्यु दिनांक 13.10.2000 को हो गयी थी उनकी मृत्यु के बाद उनके [illegible] प्रार्थी व उनके वारिसानों का शामलाती रूप से कब्जा स्वामित्व बिना विधिवत बंटवारा [illegible] आ रहा था स्व0 रामेश्वरलाल जी की पत्नी कमला देवी की [illegible] 2007 को हो गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.07.31 13:33:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

फिर भी स्व0 रामेश्वरलाल जी के जायदाद में से पट्टा ग्राम पंचायत बोरावड़ से पट्टा संख्या 36 मिसल संख्या 98/07–08 दिनांक 20.06.2008 का गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 01 श्रीमती वसुन्धरा देवी पत्नी कैलाशचन्द ने बनवा लिया जिसका पंजीयन भी तहसील कार्यालय मकराना से दिनांक 28.07.2008 को करवा लिया जिसकी प्रति प्रार्थी को प्राप्त होने पर यह निगरानी पेश की जा रही है। जिसके आधार निम्न वर्णित हैः–

1. मौजा बोरावड़ के आबादी क्षेत्र में स्व0 रामेश्वरलाल जी के कब्जासुदा हक व अधिकारों की जायदाद थी जिस पर स्व0 रामेश्वरलाल जी के सभी वारिसानों का कब्जा है निर्बाध रूप से काबिज होकर निवास करते थे उनके मृत्यु के बाद उनके तमाम वारिशानों का कब्जा है एवं इस जायदाद पर किसी का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है व दखल नहीं रहा है स्व0 रामेश्वरलाल जी की मृत्यु के बाद उनके मात्र पांच लड़के है लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 की पत्नी वसुन्धरा दवी ने छल पूर्वक अपने स्वयं के नाम उपर वर्णित गलत पट्टा ग्राम पंचायत से जारी करवा लिया है जो प्रारम्भता ही शून्य होने से पट्टा निरस्त होने योग्य है।
2. पट्टा सुदा जायदाद स्व0 रामेश्वरलाल की थी उनकी मृत्यु के बाद उनके तमाम वारिशानों की जायदाद कानूनन होती है जिसमें मुझ प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 से 05 का हक व अधिकार बराबर बराबर होता है उसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने स्वयं के नाम से पट्टा ग्राम पंचायत बोरावड़ से तथा कथित षडयंत्र रचकर चुपके से जारी करवा लिया जो उक्त पट्टा विधिवत रूप से कानूनी रूप से वसुन्धरा देवी को पट्टा लेना का कोई हक व अधिकार नहीं है इसलिये कानूनन उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है।
3. ग्राम पंचायत के लिये यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 255 से 265 की पालना की जानी है परन्तु उन आज्ञापक नियमों की पालना नहीं की गयी है इसलिये उक्त दोनों पट्टा व पट्टा का प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है।
4. किसी भूमि का पट्टा आवेदन करने के बाद आपत्तियाँ आमन्त्रित करने हेतु नोटिस जारी करना आवश्यक होता है जिसकी नियम 269(2) के अनुसार भूमि के विशिष्ट स्थान पर चस्पा करना चाहिये वास्तव में ऐसा कोई नोटिस गुवाड़ में चस्पा नहीं किया। यदि नोटिस चस्पा किया जाता तो प्रार्थी आपत्ती प्रस्तुत करते जबकि स्व0 रामेश्वरलाल जी पुत्र रामजीवण जी के पूर्व में अपनी जायदाद का ग्राम पंचायत बोरावड़ द्वारा पट्टा भी बना हुआ था जिसकी जानकारी भी भलीभांती अप्रार्थी संख्या 06 व 07 को थी कि वसुन्धरा देवी स्व0 रामेश्वरलाल जी की वारिसान नहीं है ना ही वसुन्धरा देवी को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे का आवेदन करने का व पट्टा प्राप्त करने का कानूनी हक व अधिकर है। उसके बाव[illegible] मात्र अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से पट्टा जारी गलत [illegible] है। जो पट्टा निरस्त होने योग्य है। एवं पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत नियमों की पालना नहीं की है एवं पट्टा जारी करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 ने कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.07.31 13:33:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

ओथेन्टिक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा हुआ है जो पट्टा निरस्त होने योग्य है।

5. पट्टा सुद जायदाद पहले स्व0 रामेश्वरलाल जी का कब्जा स्वामित्व था उनकी मृत्यु के बाद उनके तमाम वारीशान का कब्जा स्वामित्व है मौका पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 01 व उसके पति का हक व अधिकार नहीं है लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 ने स्व0 रामेश्वरलाल जी के वारिसानों की बिना सहमती लिये व रामेश्वरलाल की वारिसान नहीं होते हुए भी अपने स्वयं के नाम से बिना किसी विधिक अधिकारों के पट्टा गलत रूप से बनवा लिया है व पट्टा अवैध व शून्य होने से निरस्त होने योग्य हैं।

6. अप्रार्थी संख्या 01 वसुन्धरा देवी के नाम से उपरोक्त पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित भूमि का कोई भी लिगल दस्तावेज हक व अधिकार का प्रस्तुत नहीं किया है एवं न तो ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन से प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में आवेदन पत्र शुल्क लिया गया न ही भूमि का प्लान बनवाया गया नही पंचायत द्वारा प्रपत्र 49 में ऐन्ट्री की न ही इस सम्बन्ध में कोई पत्रावली खोली गयी न ही पंचायत से कोई रिज्योलूश पास किया एवं न ही पंचों से मौका निरीक्षण करवाया न ही पंचायत ने इस सम्बन्ध में कोई प्रोविजनल डिसीजन लिया है। इसलिये पट्टा निरस्त होने योग्य है।

7. अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत बोरावड़ द्वारा स्व0 रामेश्वरलाल जी के किसी भी वारिसान की कोई सहमती नहीं ली ना ही सहमती लेने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा कोई नोटिस स्व0 रामेश्वरलाल जी के वारिसानों को जारी किया है इसलिये भी उपरोक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है।

8. स्व0 रामेश्वरलाल जी के वारिसानों के मध्य कभी भी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है बिना विधिवत बंटवारा हुये किसी भी वारिसान को पंचायत द्वारा पट्टा बनाने का अधिकार नहीं है एवं मुझ प्रार्थी अपने व्यापारी सिलसिले से उदयपुर रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है जिसका नाजायज फायदा उठाकर मुझ प्रार्थी की जायदाद को हड़प करने के इरादे से अप्रार्थी संख्या 01 व उसके पति ने कथाकथित अपने को सदोष लाभ प्राप्त करने के इरादे से अपने रिश्तेदार को सम्मलित करते हुये फर्जी बंटवारा तैयार करवाया है उक्त वर्णित कारण से भी फर्जी छल पूर्वक बनाये गये पट्टे कानूनी रूप से निरस्त होने योग्य है जिससे मुझ प्रार्थी के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।

9. अप्रार्थी संख्या 02 कैलाशचन्द द्वारा एक फर्जी तथाकथित भाई बंटवारानामा तैयार करवाकर मुझ प्रार्थी के उक्त लिखित बंटवारे पर फर्जी हस्ताक्षर कैलाशचन्द अप्रार्थी संख्या 01 वसुन्धरा देवी व नथमल मोदी [illegible] प्रार्थी के फर्जी हस्ताक्षर करके छल पूर्वक भाई बंटवारा निष्पादित [illegible] भाई बंटवारा के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी [illegible] किये गये भाई बंटवारे में भी कैलाशचन्द को [illegible] स्वयं के नाम [illegible] पट्टा बनवाने की कभी भी हमने सहमती नहीं दी है इस[illegible] पचायत बोरावड़ को अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से पट्टा जारी करने का को[illegible] कानूनी हक नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.07.31 13:33:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना-कुचामन
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

लेकिन कानून के विपरीत जाकर विधि विरूद्ध जाकर सरपंच महोदय ने गलत पट्टा श्रीमती वसुन्धरादेवी पत्नी कैलाशचन्द के नाम से जारी किये है जो पट्टा निरस्त होने योग्य है।

10. मुझ प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में जारी फर्जी पट्टे की जानकारी होने पर एवं तथाकथित तैयार किये गये भाई बंटवारानामा की जानकारी होने पर मैने पुलिस थाना मकराना में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 23/2019 दिनांक 14.01.2019 को अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी आई.पी.सी. में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 व अन्य के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है जो उक्त प्रकरण में अन्वेक्षण चल रहा है व दौरान अन्वेक्षण अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा फर्जी तथाकथित तैयार किया गया बंटवारानामा जब्त किया गया है व कार्यवाही जारी है। इस आधार पर भी प्रथम दृष्टया मामला लगता है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने धन बल के आधार पर व अपने पति को षडयंत्र में शामिल करते हुये छल पूर्वक कुटरचित दस्तावेज तैयार करके ग्राम पंचायत बोरावड़ द्वारा पट्टा जारी करवा लिया है जो पट्टें निरस्त होने योग्य है।

11. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा फर्जी तैयार किये गये बंटवारानामा जो पुलिस द्वारा जब्त किया गया था। जो स्टाम्प 100/– रूपये स्टाम्प क्रमांक 3377 स्व0 रामेश्वरलाल जी की पत्नी कमला देवी के नाम से खरीद किया हुआ था स्टाम्प वास्तु इकरारनामा लेनदेन हेतु खरीद किया हुआ था लेकिन उक्त स्टाम्प पर भाई बंटवारानामा गलत, फर्जी, षड़यंत्रपूर्वक, कूटरचित दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा स्टाम्प पर तैयार किया व उक्त स्टाम्प के आधार पर कानूनी रूप से ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने का कोई हक व अधिकार नहीं था लेकिन ग्राम पंचायत बोरावड़ द्वारा अपने दायित्व को बिना निर्वहन किये उक्त पट्टा जारी कर दिया है जो पट्टे के खड़े रहने से प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा इसलिये उपरोक्त पट्टा कानूनी रूप से निरस्त किये जाने योग्य है।

12. निगरानी हेतु विधि के अन्तर्गत कोई परीसीमा निर्धारित नहीं है परन्तु उपरोक्त कारणों से जानकारी के अभाव में निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकी अब जानकारी होने पर पुलिस थाना मकराना में दिनांक 14.01.2018 को मुकदमा दर्ज करवाया तत्पश्चात् फर्जी बनाये गये पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपी उप पंजीयन अधिकारी मकराना से दिनांक 08.02.2019 को प्राप्त करने पर श्रीमान् के समक्ष निगरानी पेश किया जा रही है जिसे दर्ज किया जाना उचित व न्याय संगत है।

अतः माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी मय शपथ पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बोरावड द्वारा पट्टा संख्या 36 मिसल संख्या 98/07–08 दिनांक 20.06.2008 को निरस्त कि[illegible]

वकील गैर निगरानीकार अनुपस्थित। अतः इनके [illegible] कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में अधिवक्ता निगरानीकार की बहस सुनी गई एवं ग्राम पंचायत बोरावड की मिसल संख्या 98 तथा बैठक कार्यवाही विवरण इत्यादि रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया। विचाराधीन निगरानी में गाम [illegible]यत बोरावड द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.07.31 13:33:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना-कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

श्रीमती वसुन्धरा देवी पत्नी कैलाशचन्द के नाम से राज0 पंचायत राज. अधिनियम 1994 एवं राज0 पंचायत राज. नियम 1996 के नियम 150, 152 के तहत 200/– रूपये प्रतिफल पर 303.2 वर्गगज का आवासीय पट्टा ग्राम बोरावड में जारी किया गया।

ग्राम पंचायत बोरावड द्वारा जारी उक्त पट्टे के संकल्प संख्या 11 दिनांक 05.06.2008 के अनुसरण में उक्त पट्टा जारी करना अंकित किया है। ग्राम पंचायत बोरावड की मिसल सं0 98 पट्टा संख्या 36 की पत्रावली अनुसार श्रीमती वसुन्धरा देवी ने पुश्तेनी मकान होने के आधार पर ग्राम पंचायत बोरावड में पट्टे हेतु आवेदन किया। उक्त आवेदन पत्र के साथ में एक नक्शा भी प्रस्तुत किया। जिसमें 331.08 वर्गगज का पट्टा चाहा है। उक्त नजरी नक्शे पर सरपंच के हस्ताक्षर भी अंकित है।

ग्राम पंचायत बोरावड द्वारा जारी पट्टे में अंकित संकल्प संख्या 11 दिनांक 05.06.2008 की प्रमाणिकता के लिए ग्राम पंचायत बोरावड के पंचों की बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर का अवलोकन किया। दिनांक 05.06.2008 का कार्यवाही विवरण पेज संख्या 57 से आगे तक अंकित है। उक्त दिनांक को हुई बैठक में 29 प्रस्तावों का अंकन है। प्रस्ताव संख्या 11 का विवरण निम्नानुसार है "पंचायत की आबादी भूमि की मिसल संख्या – से – तक पट्टो की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है उनका पट्टा बनाकर देने का प्रस्ताव सर्वसम्मिति से पारित किया गया" उक्त प्रस्ताव के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि इस प्रस्ताव द्वारा किस आवेदक को कितने वर्गगज भूमि का आवासीय पट्टा जारी करने की सहमति ग्राम पंचायत बोर्ड द्वारा दी गई। इसी अनुसार ग्राम पंचायत बोरावड द्वारा जारी किया गया पट्टा सं0 36 को संकल्प सं0 11 के तहत जारी किया हुआ स्वीकार नहीं किया जा सकता।

राज0 पंचायत राज नियम 1996 की धारा 150, 152 का भी अवलोकन किया गया। धारा 150 व 152 में भूमि को निलामी द्वारा विक्रय किये जाने की प्रक्रिया का निर्धारण किया हुआ है। जबकि प्रश्नगत पट्टा निलामी द्वारा विक्रय नहीं किया गया। राज0 पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा होने के आधार पर नियमों के प्रारम्भ की तारीख से 50 वर्ष पूर्व की अवधि में पुराने गृहों तथ 30 वर्ष से अधिक की अवधि में पुराने गृहों के लिए क्रमशः 100/– व 200/– रूपये प्रभार लेकर पट्टे जारी करने का प्रावधान है। नियम 157 के तहत पट्टे जारी करने के लिए ग्राम पंचायत की अधिकारिता अधिकतम 300 वर्गगज की है। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदन 331 वर्गगज का किया गया। पट्टा 303 वर्गगज का जारी किया गया जो कि ग्राम पंचायत की अधिकारिता से बाहर है।

विचाराधीन पट्टे के लिए प्रस्तुत आवेदन श्रीमती वसुन्धरा देवी द्वारा इसे पुश्तेनी होने के आधार पर आवेदन किया है। श्रीमती वसुन्धरा का विवाह कैलाशचन्द से हुआ तथा विवाह के पश्चात ही उसका बोरावड में निवास माना जा सकता है। श्रीमती वसुन्धरा को उक्त भूमि पुश्तेनी आधार पर किस [illegible] थे इस बाबत कोई तथ्य ग्राम पंचायत की पत्रावली में नहीं है। ग्राम पंचायत बोरावड की पत्रावली में श्रीमती वसुन्धरा के पुश्तेनी कब्जे को सिद्ध करने बाबत एक भी शपथ पत्र अथवा अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। श्रीमती वसुन्धरा के पति कैलाशचन्द बोरावड के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.07.31 13:33:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

निवासी है। उनके पिता रामेश्वरलाल भी बोरावड के निवासी है। पत्रावली में रामेश्वरलाल के पक्ष का भी कोई दस्तावेज नहीं है, न ही रामेश्वरलाल द्वारा श्रीमती वसुन्धरा को उक्त स्थल को हस्तान्तरण करने का प्रमाण उपलब्ध है।

राज0 पंचायत राज नियम 1996 के नियम 146 से 158 तक आबादी भूमि के विक्रय एवं पट्‌टों के प्रावधान दिये हुए है। उक्त नियमों के अनुसार पुराने गृह के विनियमतिकरण के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों में निर्णय से पूर्व राज0 पंचायत राज नियम 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण करने, नियम 147 के तहत नोटिस जारी कर आपत्तियां आमंत्रित करने एवं नियम 149 के तहत आक्षेपों का निपटारा करने के प्रावधानों की पालना किया जाना विधि अनुरूप आवश्यक है।

प्रश्नगत प्रकरण में ग्राम पंचायत बोरावड की पत्रावली में स्थल निरीक्षण बाबत कोई कार्यवाही विवरण नहीं है। नियम 148 के तहत नोटिस जारी करने उसकों 148(2) के तहत प्रकाशित करने बाबत भी किसी प्रकार का कोई कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं है।

उक्त विवेचन के अनुसार स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बोरावड श्रीमती वसुन्धरा पत्नी कैलाशचन्द को ग्राम बोरावड के मिसल संख्या 98 के तहत राज0 पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत जारी आवासीय पट्‌टा सं0 36 अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया। पट्‌टा जारी करने से पूर्व राज0 पंचायत राज नियम 1996 के तहत विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया की पालना नहीं की गई। पट्‌टा जारी किये जाने वाले भूखण्ड के पुराने गृह होने/पुश्तेनी होने की कोई जांच नहीं की गई, न ही पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा जारी निगरानीधीन पट्‌टा संख्या 36 राज0 पंचायत राज नियम 1996 का उल्लघंन है।

अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बोरावड द्वारा श्रीमती वसुन्धरा देवी के नाम जारी पट्‌टा सं0 36 निरस्त किया जाता है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक **23.07.2024** को सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

23/7/24

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.07.31 13:33:44 IST
Reason: SelfAttested